प्रेस नोट–177 / 2026
दिनांक 30.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारी की विदाई</u>

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 30.03.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी **श्री राजेश कुमार सक्सेना** पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ को पुलिस मुख्यालय में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा **श्री राजेश कुमार सक्सेना** के कार्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

श्री राजेश कुमार सक्सेना जी का जन्म 14 मार्च 1966 में हुआ था। वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2025 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री राजेश कुमार सक्सेना जी निष्ठावान, कार्यकुशल एवं सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका लगभग 32 वर्षों से अधिक का कार्यकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है, जिन्हे गणतन्त्र दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।

प्रेस नोट–178 / 2026
दिनांक 30.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद औरैया पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर साइबर अपराध करने वाले अभियुक्तगणों सहित सात विभिन्न प्रकार के अपराध करने वाले अभियुक्तगणों के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही</u>

माननीय मुख्यमंत्री **श्री योगी आदित्यनाथ जी** की अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध **जीरो टॉलरेंस** की नीति के अंतर्गत **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था स्थापित करने एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध मुक्त प्रदेश के अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में जनपद औरैया में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान में गिरोह बनाकर साइबर अपराध करने वाले अभियुक्तगणों सहित सात विभिन्न प्रकार के अपराध करने वाले अभियुक्तगणों के विरूद्ध दिनांकः 28.03.2026 को गैगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाहियां की गयी है।

"माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से न बच सके — और इसमें साइबर अपराधी भी शामिल हैं। औरैया पुलिस द्वारा एक साइबर अपराध गिरोह सहित सात गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्रवाई इसी संकल्प का प्रमाण है। चाहे अपराधी सड़क पर हो या स्क्रीन के पीछे — कानून की पहुँच हर जगह है। यह सशक्त कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए कड़ा निरोधक संदेश है और प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी डिजिटल सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

राजीव कृष्ण
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0

1. जनपद में पहली बार गिरोह बनाकर साइबर अपराध करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध साइबर थाना में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

साइबर थाना जनपद औरैया द्वारा दिनांकः 13.11.2025 को साइबर फ्राड करने वाले तीन अभियुकतों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/25 धारा 111/318/338/ 336(1)/340(1) बीएनएस व 66सी व 66डी आई टी एक्ट बनाम अभियुक्त शिव प्रताप उर्फ रवि (गैंग लीडर) पुत्र दिनेश सिंह निवासी अमृतपुर कैथावा थाना बेला जनपद औरैया आदि पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में समस्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप-पत्र संख्या 06/2026 दिनांक 14.03.2026 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । अभियोग के मुख्य अभियुक्त शिव प्रताप उर्फ रवि उपरोक्त द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि NCRP पोर्टल पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध कुल 20 शिकायतें पंजीकृत हैं। पोर्टल पर उपलब्ध शिकायतों के अवलोकन के अनुसार अभियुक्तगणों द्वारा कुल ₹9,89,824/- (नौ लाख नवासी हजार आठ सौ चौबीस रुपये) की साइबर धोखाधड़ी कारित की गई है।

गैंग के सदस्य-

1. जितेंद्र और मिथुन पुत्र सतीश सिंह नि0 ग्राम अमृतपुर कैथावा थाना बेला जनपद औरैया
2. राहुल पुत्र चंद्रपाल निवासी रूरीया थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
3. टिंकू उर्फ रणजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम पवारण नगला थाना सौरिख जनपद कन्नौज

अपराध का तरीका-

उपरोक्त गैंग द्वारा निम्न प्रकार से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता हैः-

1. फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें मूल प्रपत्रों के रूप में प्रयोग किया गया।
2. फेसबुक पर फर्जी पेज बनाकर सरकारी योजनाओं का प्रतिरूपण किया गया।
3. निम्न सरकारी योजनाओं के नाम का दुरुपयोग कर भोले-भाले नागरिकों को लालच दिया गया — प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एवं प्रधानमंत्री सोलर योजना।
4. पीड़ितों से ऑनलाइन माध्यम से धनराशि की अवैध वसूली की गई।

उपरोक्त गैंग द्वारा साइबर अपराध कारित करने के उद्देश्य से फर्जी कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर उनको मूल प्रपत्रों के रूप में प्रयोग कर फेसबुक पेज बनाकर सरकारी योजनाओं के नाम पर भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ अर्जित करना मुख्य कार्य है।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को साइबर थाना में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

2. गिरोह बनाकर चोरी की घटना करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध थाना फफूंद में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

थाना फफूंद जनपद औरैया के क्रमशः मु0अ0सं0 288/25, 290/25,297/25 धारा 305(e)/331(4)/317(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त रमेश चंद्र (गैंग लीडर) पुत्र पूरन सिंह निवासी विकास कुंज दिबियापुर द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग का सदस्य-

1. श्याम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम गपकापुर व झाबर का पुरवा थाना दिबियापुर जनपद औरैया

अपराध का तरीका-

उपरोक्त गैंग द्वारा घरों व भवनों के ताले तोड़कर समान व पैसे चोरी करके आर्थिक व दुनियावी लाभ उठाने का कार्य किया जाता है।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना फफूंद में मु0अ0सं0 82/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

3. हत्या करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अछल्दा में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

थाना अछल्दा जनपद औरैया के मु0अ0सं0 187/2025 धारा 109/ 191/192/193 बीएनएस व मु0अ0सं0 191/25 धारा 103(1)/64(2)/238/240 बीएनएस बनाम अभियुक्त बबलू उर्फ प्रदीप उर्फ झबरा (गैंग लीडर) पुत्र जगदीश यादव निवासी नगला रामधन हसनपुर थाना अछल्दा जनपद औरैया द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग के सदस्य-

1. अनुज यादव पुत्र रामकिशोर नि0 द्वारिका की मड़ैया थाना अछल्दा जनपद औरैया
2. राहुल यादव पुत्र राकेश यादव निवासी नगला नरा थाना अछल्दा
3. रजनेश पुत्र स्व० शिववीर सिंह निवासी ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया
4. सुखानी उर्फ सुकेश पुत्र शिववीर निवासी ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया
5. जयकेश पुत्र शिववीर निवासी ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया
6. सुखदेव पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया
7. गौतम सिंह पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया

अपराध का तरीका-

उपरोक्त सदस्यों द्वारा जनपद एवं थाना क्षेत्र में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी वारदात कर लोगों में दहशत फैलाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए कार्य करते हैं।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना अछल्दा में मु0अ0सं0 54/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

4. गिरोह बनाकर गौवध/पशु क्रूरता करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ऐरवाकटरा में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

थाना एरवाकटरा जनपद औरैया के मु0अ0सं0 122/2025 धारा 5(a) उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अभियुक्त कल्लू (गैंग लीडर) पुत्र सोजी निवासी नगला पहाड़ी थाना एरवाकटरा द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग के सदस्य-

1. अर्जुन पुत्र घासीराम निवासी कलाम का कुआं कोटा राजस्थान
2. मुकेश पुत्र भेरू निवासी पंचवटीकोतवाली भीलवाड़ा,राजस्थान
3. जाड़ी उर्फ नैना पत्नी विक्रम उर्फविक्की निवासिनी पंचवटी,प्रताप नगर ,भीलवाड़ा राजस्थान
4. कल्लो पत्नी स्व० घासी निवासी ढाबादेव भीलवाड़ा राजस्थान
5. बच्चू पत्नी रघुवीर निवासिनी पटेल नगर, प्रताप नगर,भीलवाड़ा राजस्थान

अपराध का तरीका-

उपरोक्त सदस्यों द्वारा एक संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय है और आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए संगठित गिरोह बनाकर गोवंश पशुओं को क्रूरता पूर्वक बांधकर मारते पीटते हुए ट्रैकों में लादकर गैर राज्यों में काटने और बेचने का उद्देश्य ले जाने जैसे गंभीर अपराध कारित कर स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता था।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना ऐरवाकटरा में मु0अ0सं0 41/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

5. गिरोह बनाकर चोरी व टप्पेबाजी की घटना करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बिधूना में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

थाना बिधूना व थाना बेला जनपद औरैया के क्रमशः मु0अ0सं0 78/25 (बिधूना) व मु0अ0सं0 40/25 (बेला) धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त पुष्पेंद्र (गैंगलीडर) पुत्र मुंशीलाल दोहरे निवासी पाकर का पुरवा थाना अयाना जनपद औरैया द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग का सदस्य-

1. नरेन्द्र उर्फ पिन्टू यादव पुत्र मुलायम सिंह निवासी फतेहपुर करमपुर औरैया
2. आजाद पुत्र कल्लू कुरैशी निवासी दलेलनगर मुरादगंज थाना अजीतमल जिला औरैया
3. रविशंकर पुत्र रामप्रकाश दौहरे निवासी जागूपुर थाना बिधूना जनपद औरैया
4. जयवीर पुत्र हुब्बलाल दोहरे निवासी रमऊ थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात
5. राजू पुत्र कन्हैयालाल सविता निवासी बुधौली थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

अपराध का तरीका-

उपरोक्त गैंग ऑटो, रिक्शा एवं बस आदि वाहनों में बैठकर सवारी बनकर लोगों के बैग पर्स से आभूषण व रुपए चोरी करने एवं टप्पेबाजी जैसी घटनाएं कारित करना मुख्य कार्य है

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना बिधूना में मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

6. चोरी व टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना दिबियापुर में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

थाना दिबियापुर जनपद औरैया के मु0अ0सं0 791/24 धारा 305a/331(4)/ 317(2)/317(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 20/25 धारा 305a/331(4)/317(2)/ 317(4)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 26/25 धारा 305a/331(4))317(2)/ 317(4)/3(5) बीएनएस बनाम अभियुक्त बादल (गैंगलीडर) पुत्र पप्पू गिहार निवासी गिहार बस्ती थाना दिबियापुर जनपद औरैया द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग के सदस्य-

1. रोहित गिहार उर्फ बुंदेला पुत्र अनिल कुमार निवासी रसूलाबाद कानपुर देहात
2. रोहित पुत्र पप्पू गिहार उर्फ वीरेंद्र सिंह गिहार बस्ती थाना दिबियापुर जनपद औरैया

अपराध का तरीका-

उपरोक्त गैंग का मुख्य अपराध नकबजनी कर जघन्य अपराध कारित करना है।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना दिबियापुर में मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

7. नकली (अमानक) खाद एवं कूटरचित दस्तावेज/बोरी को तैयार करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली औरैया में गैंगस्टर एक्ट कार्यवाही-

थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया के मु0अ0सं0 634/24 धारा 318(4)/338/336(3)/336(4)बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व मु0अ0सं0 654/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाम अभियुक्त शनि चौहान उर्फ प्रदीप कुमार (गैंगलीडर) पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गोविंदनगर थाना कोतवाली जनपद औरैया द्वारा गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, जिसके गैंग के सदस्य निम्न-लिखित हैं।

गैंग के सदस्य-

1. योगेश चौहान उर्फ नीरज चौहान पुत्र रमेश चौहान निवासी लोहिया नगर थाना दिबियापुर जनपद औरैया
2. चरण सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम वैसुंधरा थाना दिबियापुर जनपद औरैया
3. सुनील चौहान पुत्र अहिबरन निवासी ग्राम दुर्वाशपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया
4. चीनू चौहान पुत्र नरेश चौहान निवासी आर्यनगर थाना कोतवाली जनपद औरैया

अपराध का तरीका-

उपरोक्त गैंग बिना लाइसेंस की नकली खाद एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नकली खाद बोरी में पैक कर उसको कृषक को विक्रय करते हैं जिससे कृषकों की उत्पादन में कमी भी होती है एवं शासकीय क्षति भी होती है।

पुलिस कार्यवाही-

उक्त गैंग के विरूद्ध दिनांक 28.03.2026 को थाना थाना कोतवाली औरैया में मु0अ0सं0 200/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–179 / 2026

दिनांक 30.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई** द्वारा श्री अक्षय कुमार निवासी ग्राम भागोट थाना चांदीनगर जनपद बागपत से वाद सं0-96/25 धारा 117 उ0प्र0 राजस्व संहिता में, उप-जिलाधिकारी खेकड़ा बागपत से कहकर शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में कार्यालय परिसर उप-जिलाधिकारी खेकड़ा बागपत से **सफाईकर्मी निशू त्यागी (नगर पालिका रटौल बागपत)** पुत्र विजयपाल त्यागी निवासी ग्राम चमरावल थाना चाँदीनगर जनपद बागपत को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–180 / 2026
दिनांक 30.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना फूलपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांकः 29/30.03.2026 की रात्रि थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किठावें नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फूलपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलीम निवासी सतुवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद शामली/थाना कांधला

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 16 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29/30.03.2026 की रात्रि थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गढ़ी रामकौर रजवाहा पुलिया से 04 अभियुक्तों 1–अहसान

2–दिलशाद उर्फ दिल्ला 3–इस्तकार 4–भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अहसान के विरूद्ध जनपद मेरठ, शामली के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्ला के विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अहसान निवासी कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2–दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3–इस्तकार निवासी कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4–भूरा निवासी कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद शामली/थाना कैराना</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ 03 लाख रूपये(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 15 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बराम**द

दिनांक 29/30.03.2026 की रात्रि थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुच्चाखेड़ी से ऊंचगांव की तरफ जाने वाले रास्ते से अभियुक्त अहसान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़

03 लाख रूपये(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 15 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अहसान निवासी ग्राम तीतरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लगभग 04 करोड़ 03 लाख रूपये(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 15 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **121 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 30.03.2026 को थाना गोपीगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ज्ञानपुर स्टेशन रोड की बगल रेलवे की खाली जमीन से 02 अभियुक्तों 1–समरजीत 2–प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 121 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समरजीत निवासी महबूबपुर थाना भदोही जनपद भदोही।

2–प्रदीप निवासी राईपुर थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—121 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद जालौन/थाना नदीगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 04 हजार रूपये प्रत्येक को अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना नदीगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/354/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1—दीपांशु 2—अंशु उर्फ अनुरूद्ध 3—अभिनेन्द्र उर्फ बोली को आजीवन कारावास व 01 लाख 04 हजार रूपये प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना छपरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452/354 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुन्दर को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना विशुनपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना विशुनपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि, 3/4पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजा हुसैन को आजीवन कारावास व 03 लाख 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जहानाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त छोटे उर्फ मानसिंह को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————